अटल पेंशन योजना का अर्थ, मुख्य नियम, उद्देश्य और लाभ

samanyagyan.com/hindi/gk-atal-pension-yojana

अटल पेंशन योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई?

अटल पेंशन योजना गारंटीयुक्त पेंशन योजना (स्कीम) है। भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगो और मजदूरों को पेंशन प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना इसकी शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 09 मई 2015 को कोलकाता में किया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार आपको और आपके पति या पत्नी को जीवन की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है।

अटल पेंशन योजना के नियम:

अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिय है। प्लान से निकलने और पेंशन शुरू होने की उम्र 60 साल है। इस योजना के तहत किसी निवेशक को कम से कम 20 साल तक निवेश करना जरूरी है। इस योजना में धारक का आधार कार्ड होना आवश्यक है, ताकि योजना के लाभ आसानी से योजना धारक को मिलें। यदि जब आप इस योजना से जुड़ते है और आपका आधार कार्ड नहीं है, तो बाद में भी अपना आधार कार्ड जमा करवा सकते है। इस योजना से जुड़ने के लिए बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है।

अटल पेंशन योजना में खाता कैसे खोलें?

अटल पेंशन योजना खाता में खुलवाने के लिए आप अपनी निकटतम बैंक की शाखा में जा सकते हैं और इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप सभी सरकारी बैंक (जैसे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ़ बरोडा इत्यादि) में जा कर अपना खाता खुलवा सकते है। अगर आप ऑनलाइन अटल पेंशन योजना खता खोलना चाहते हैं, तो आप ईएनपीएस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अटल पेंशन खाता खोल सकते हैं।

अटल पेंशन योजना के लाभ:

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की रकम आपके योगदान, प्लान ज्वाइन करने की उम्र पर निर्भर है। इसमें 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपये महीने की पेंशन मिल सकती है। आपके योगदान के हिसाब से यह रकम हर महीने आपको 60 साल की उम्र से मिलनी शुरू होगी।

उदाहरण के लिए यदि धारक अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत हर महीने 42 रुपये जमा करता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। अगर उपभोक्ता 210 रुपये प्रति महीने अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत जमा करता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु के बाद 5 हजार रुपये प्रति महीने पेंशन मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत यदि धारक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले ही हो जाती है, तब जमा की गई राशि ब्याज सहित नॉमिनी को दे दी जाएगी और अकाउंट बंद कर दिया जायेगा।

अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को घटाये या बढ़ाये:

कुछ लोगो के मन में अब सवाल यह आता है कि क्या वे पंजीकरण के बाद इस योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ा या घटा सकते है, तो आसान सा जवाब है हाँ। यह संभव है कि आप एक पेंशन राशि से शुरू करते हैं, परन्तु भविष्य में आप अपनी पेंशन राशि को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना में इस बात का भी प्रावधान है। आइये जाने:-

- आप केवल साल में एक बार अप्रैल के महीने में पेंशन राशि को बढ़ा या घटा सकते हैं, परन्तु पेंशन में बदलाव आप केवल 60 वर्ष की आयु से पहले ही कर सकते हैं।
- पेंशन राशि में वृद्धि के लिए, निवेशक (अभिदाता) को योगदान के अंतर राशि का भुगतान करना होगा। साथ की भुगतान पर 8% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज भी जमा करना होगा।
- पेंशन राशि में कटौती के मामले में, निवेशक को योगदान की अतिरिक्त राशि वापस कर दी जाएगी। साथ में अतिरिक्त राशि पर जाम रिटर्न भी लौटा दिया जाएगा।

अटल पेंशन योजना में अपनी राशि की जांच कैसे कर सकते है?

यदि आप अपने अटल पेंशन योजना खाते में अपनी राशि की जांच डिजिटल माध्यम से करना चाहते हैं, तो एनपीएस वेबसाइट से या फिर एपीवाय और एनपीएस लाइट एप को डाउनलोड कर इसकी जानकारी ले सकते हैं।

इस जानकारी के बारे समझने पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपना पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्रैन) है। यह पंजीकरण के समय एसएमएस के जरिए आपके मोबाइल पर भेजा जाता है। हालांकि, प्रैन की जरूरत एप से लॉन-इन के समय पड़ती है। यदि आप वेबसाइट के जरिए लॉग-इन कर रहे हैं, तो आपको बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होती है। अगर आपने भी एपीवाय के लिए अपना नामांकन किया हुआ है, तो आप नीचे दिए गए चरणों (स्टेप्स) की सहायता से अपनी सहयोग राशि की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते है।

वेबसाइट के लिए स्टेप्स:

- कंप्यूटर या लैपटॉप पर 'https://www.npscra.nsdl.co.in/scheme-details.php' खोलिए।
- इसके बाद 'APY e-PRAN/Transaction Statement View' पर क्लिक करिए। यह आपको एक दूसरे पेज पर पुन:निर्देशित करेगा।
- इसके बाद आप इच्छानुसार 'प्रैन के साथ' या 'प्रैन के बिना' का विकल्प चुन सकते हैं।
- यदि आपने 'प्रैन के साथ' विकल्प चुना है, तो आपको अपना प्रैन और बैंक अकाउंट नंबर भरना होगा।
- यदि आपने 'प्रैन के बिना' विकल्प का चयन किया है तो उपभोगता का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और जन्म तिथि भरनी अनिवार्य होगी।
- जानकारी भरने के बाद आप ई-प्रैन व्यू या लेन-देन की स्टेटमेंट में एक का चुनाव करना होगा।
- कैप्शा में दिखाए गए कोड को सही तरीके से भर कर 'Submit' पर क्लिक करें।

एपीवाय ई-प्रैन से आप अपने एपीवाय ई-कार्ड का जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पेंशन के शुरू होने की तारीख, पेंशन के लिए चुनि गई राशि और एपीवाय सर्विस प्रोवाइडर, इत्यादि के बारे में भी जान सकते हैं। साथ ही आपको इस स्कीम में आपके खाते में संपूर्ण सहयोग राशि की भी जानकारी मिलेगी।
इन सबके साथ ही आप नॉमिनी का नाम, पेंशन राशि और किसी विशेष वित्तीय वर्ष में जमा की गई राशि के बारे में भी जान सकते हैं।

अटल पेंशन योजना से जुड़े नवीनतम अपडेट 2021 – Atal Pension Yojana latest updates 2021

- मौजूदा वित्त वर्ष 2020 में ही अब तक 52 लाख से अधिक नए सब्सक्राइबर अटल पेंशन स्कीम (APY) से जुड़ चुके हैं. सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस स्कीम को अपनाया है. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के आंकड़ों के मुताबिक 30 जनवरी 2021 तक 42,46,137 लोगों ने एपीवाई के तहत रजिस्ट्रेशन कराया.
- PFRDA के आंकड़ों के मुताबिक 30 जनवरी 2021 तक 2655 एनआरआई व अन्य ने इसका सब्सक्रिप्शन लिया
- बचत खाताधारक इंटरनेट बैंकिंग के बिना भी अटल पेंशन योजना (APY) के तहत खाता खोल सकेंगे. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA), APY-POPs को अपने मौजूदा बचत खाताधारकों को ऑनलाइन APY खाता खुलवाने के लिए एक वैकल्पिक माध्यम पेश करने की इजाजत दे रहा है. नए माध्यम के तहत व्यक्ति इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किए बिना APY अकाउंट खोल सकेगा।